## U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tks/kiqj
## ihBklhu vf/kdkjh ¼ch- ,y- dksBkjh] vkbZ-,-,l

**jktLo f}rh; vihy la[;k 09@2019**

| **vihykUV** | बनाम | **jLiksMsUVl** |
|---|---|---|
| मूल सिंह पुत्र बलवन्त सिंह<br>निवासी– वेरापुरा तहसील–<br>सिरोही | | 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रेवदर जिला सिरोही। |

द्वितीय राजस्व अपील अंतर्गत धारा 76 भू– राजस्व अधिनियम बरखिलाफ आदेश दिनांक 31.10.2018 जो अति0 जिला कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व अपील संख्या 68/2018 मूलसिंह बनाम राज्य में पारित किया गया।

**mifLFkfr%&&**

1. श्री अजयकुमार मालवीय अधिवक्ता अपीलाटस की ओर से उपस्थित।
2. श्री, ओमप्रकाश चौधरी, राज0 अधिवक्ता, रेस्पो.सं 1 की ओर से उपस्थित।

## fu.kZ;

**fnukad 17 Qjojh] 2020**

1. अपीलान्टस के द्वारा यह द्वितीय राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत की ओर से अति0जिला कलेक्टर सिरोही के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 68/2018 मूलसिंह बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम धान्ता के खसरा संख्या 627 में रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा संख्या 935 रकबा 1.5400 हैक्टर किस्म बंजर भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के द्वारा कैम्प धान्ता में दिनांक 27.5.1992 को अपीलान्ट को किया गया था एवं उसी कैम्प कोर्ट दिनांक 27.5.1992 को अन्य व्यक्तियों को भी अन्य भूमि का

आवंटन किया गया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के पत्रांक राजस्व /92/29 दिनांक 6.6.1992 के द्वारा तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये गये कि आवंटित भूमि का आंवटियों को सुपुर्द करे जिसकी पालना में जुलाई, 1992 में अपीलान्ट एवं अन्य आवंटितयों को आवंटित भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया जिस पर अपीलान्ट 25 वर्षो से काबिज है। अपीलान्ट के द्वारा कब्जा लिये जाने के उपरान्त राजस्व अधिकार अभिलेख (जमाबन्दी) में स्वयं के नाम अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सिरोही को निवेदन किया जिस पर तहसील कार्यालय द्वारा उस समय कोई कार्यवाही नहीं और अपीलान्ट यही समझता रहा कि जिसकी अपीलान्ट द्वारा जानकारी करने पर तहसीलदार सिरोही कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 31.5.2018 को अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत नामान्तरकरण दायर करने की कार्यवाही को खारिज कर दिया गया है। ना0 तहसीलदार के उक्त निर्णय दिनांक 31.5.2018 के विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम राजस्व अपील प्रस्तुत की। जिस पर अति0 जिला कलेक्टर सिरोही ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2018 के द्वार अपील को खारिज करते हुए तहसीलदार सिरोही को निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी को आवंटित भूमि पर अपीलान्ट द्वारा काश्त की गई है अथवा नहीं, इसकी जॉच राजस्व रेकर्ड खसरा गिरदावरी से करें तथा काश्त नहीं की गई तो आवंटन निरस्त करने हेतु राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना प्रस्तुत करें। उक्त अपीलाधीन आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 7.1.2019 को प्रस्तुत की है।

3. अपीलान्ट की अपील दर्ज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड एवं रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने दोनों पक्षकारान के अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस सुनी।

5. दौरान सुनवाई अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन

आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। अति0 जिला कलेक्टर न्यायालय ने अपील सरसरी तौर पर निर्णित की है जबकि अपील में निहित मुख्य बिन्दुओं पर कोई विचार नहीं किया गया। अपीलान्ट एक भूतपूर्व सैनिक है उसे उक्त भूमि का आवंटन नियमानुसार भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारीश पर उपखण्ड अधिकारी सिरोही के द्वारा किया गया था और अपीलान्ट के द्वारा भी उक्त भूमि का कब्जा लिये के पश्चात से आज दिन तक बरसाती फसलों की काश्त करता चला आ रहा है। इस तथ्य को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया।

6. अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपीलाधीन नामन्तरकरण संख्या 291 को दिनांक 31.2.2018 को अस्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को न तो कोई सूचना दी गई और न ही उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा एकपक्षीय रूप से नामा0 खारिज कर दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों की पूर्ण रूप से अवहेलना में आता है।

7. अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा कब्जा प्राप्ति सम्बन्धी दस्तावेज श्रीमान तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे तथा मौके पर तहसीलदार व अन्य कर्मचारीगणों को भी बताया गया, इन तथ्यों को भी नजरअन्दाज कर दिया गया। यदि अपीलान्ट उक्त आवंटित भूमि पर बरसाती फसलों की काश्त नहीं करता तो उन्हें आवंटित भूमि के निरस्त की कार्यवाही आदिनांक तक क्यों नहीं की गई। लेकिन ऐसी किसी प्रकार की कार्यवाही राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नहीं की गई थी इससे भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा–काश्त चला आ रहा है। इसके अतिरक्त आवंटन के 10 वर्षो पश्चात स्वतः ही गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार अपीलान्ट को प्राप्त हो जाते है। इन तथ्यों पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने कोई गौर नहीं किया। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे तथा अति0 जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा अपीलाधीन पारित आदेश दिनांक 31.10.2018 को निरस्त किया जावें तथा अपीलार्थी के नाम उक्त

आवंटितशुदा भूमि का नामा0 अपीलान्ट के पक्ष मे स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

8. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि श्रीमान अति0 जिला कलेक्ट सिरोही ने अपीलान्ट की अपील को खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है क्योंकि उन्हें आवंटित भूमि पर काश्त नहीं की जा रही थी, जिसके आधार पर नायब तहसीलदार सिरोही ने अपीलाधीन नामा0 संख्या 291 को अस्वीकृत कर दिया। अतः अपीलान्ट की अपील आधारहीन होने से अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेशों को यथावत बहाल रखे जावें।

**9-** हमने उपस्थित योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों इत्यादि का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी अति0 जिला कलेक्टर सिरोही के द्वारा प्रथम अपील में यह अंकित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है कि अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार सिरोही को निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी को आवंटित भूमि पर अपीलान्ट द्वारा काश्त की गई है अथवा नहीं, इसकी जॉच राजस्व रेकर्ड खसरा गिरदावरी से करें तथा काश्त नहीं की गई तो आवंटन निरस्त करने हेतु राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना प्रस्तुत करें।''

**10-** हमारी विनम्र राय में अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सिरोही के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है क्योंकि अपीलान्ट के द्वारा अपनी प्रथम अपील के विचारण के दौरान ऐसे कोई तथ्य या दस्तावेज पेश नहीं किये है जिससे उक्त वादग्रस्त भूमि का कब्जा उनके द्वारा राज्य सरकार की ओर से प्राप्त किया हो और कब्जे उपरान्त उस पर कब्जा काश्त की जा रही हो। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट को उक्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन तत्तकालीन कृषि भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर

उपखण्ड अधिकारी सिरोही के द्वारा वर्ष 1992 में आवंटन कर दिया था तब से लेकर अपीलाधीन नामा0 संख्या 291 दर्ज होने की दिनांक 4.12.2017 तक अपीलान्ट के द्वारा अपने को हुए भूमि आवंटन का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु कार्यवाही लम्बे समय तक नहीं की गई। ना0 तहसीलदार के द्वारा अपीलाधीन नामा0 को अस्वीकार करते समय स्पष्ट अंकित किया है कि '' आवंटन वर्ष 1992 का है, कब्जा प्राप्ती सम्बन्धी कागजात पेश नहीं। मौका देखा गया, मौके पर काश्त करने के निशानात नहीं पाये गये, पथरीली भूमि है। अतः सक्षम प्राधिकारी का आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः नामा0 अस्वीकृत किया जाता है।''

**11-** अगर उसके द्वारा तय समय पर कब्जा ले लिया जाता तो अपीलान्ट के कब्जे के आधार पर तहसीलदार कार्यालय में कब्जे सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने की कार्यवाही कर सकता था। ऐसे में प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो पूर्ण रूप से नियमानुकूल है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होगा।

**12-** अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती है तथा अति0 जिलाकलेक्टर सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2018 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 17 फरवरी, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

**¼ch0,y0 dkBkjh½**
**fMoh tuy dfe'uj]**
**tks/kiqj**